

**फर्द अहकाम**

**नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्ती**

जगदीश

बनाम रामजी ताल

प्रकरण संख्या 64/2018

धारा-188 R.T.A

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज या कार्यवाही	
	21/11	<p>पत्रावली आज प्रशासन पत्रों के तहत आवाज के कार्यों में पेश करने के लिए कोर्ट निर्दिष्ट नहीं होने से अति कार्यवाही से पत्रावली दिनांक 20/11/22 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली कार्य में कार्यवाही पत्रावली को पेश।</p> <p>P.O. मिडियम कार्य के कारण जा सूजी 3/2/22</p>
	21/11	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी। पत्रावली दिनांक 7/3/22 को पेश हो।</p>
	7/3/22	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वादी एवं वकील हाजिर नहीं। बार-बार आवाज लगाई गई कि कोई उपस्थित नहीं आया। अन्तिम आवाज न्यायालय टाका के समय 4:45 PM पर लगाई गई कि कोई उपस्थित नहीं आया। इसलिए यह प्रष्ट होता है कि वादी एवं वकील वादी वाक्या को आगे चलाने / अदालत करने हेतु वाक्य दे बंदूक नहीं है। (विधायक वादी को वाक्य अक्सर पेशी अक्सर हाजरी में ब्यक्तिज किया जाता है।)</p> <p>ध्यान रखें न्यायालय में सुनाया गया!</p> <p><i>(Signature)</i> उप खण्ड अधिकारी बस्ती (जिला जयपुर)</p>